

आयोजन > चेंबर ऑफ कॉमर्स में साइबर सिक्युरिटी जागरुकता कार्यशाला में बोले आईजी कपूर

कार्टून बनाकर पोस्ट भी साइबर क्राइम



चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में साइबर क्राइम को लेकर आयोजित कार्यशाला में जानकारी देते विशेषज्ञ।

पत्रिका

ग्वालियर

gwalior@patrika.com

किसी भी सोशल साइट (जैसे फेसबुक या वॉट्सअप) पर किसी भी व्यक्ति का कार्टून बनाकर पोस्ट करना साइबर क्राइम है, अगर वह व्यक्ति आपत्ति दर्ज कराता है। इस अपराध में वह लोग भी शामिल होते हैं जो इस पोस्ट पर कमेंट्स, लाइक या शेयर करते हैं।

यह बात मंगलवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित साइबर

ये है साइबर क्राइम

वर्ष 2000 में आईटी एक्ट बना उस समय बताया गया कि कम्प्यूटर का इस्तेमाल करके जो अपराध हो वह साइबर क्राइम है, लेकिन वर्ष 2008 में इसमें संशोधन किया गया।

सिक्युरिटी जागरुकता कार्यशाला के दूसरे दिन पीआरटीएस इन्दौर से आए मुख्य वक्ता आईजी वरुण कपूर और अतिथि वक्ता एसपी सुदीप गोयनका ने कही। उन्होंने बताया यह अपराध धारा 66-ए के

अंतर्गत दर्ज होता है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि लोगों में जागरुकता न होने से हर साल करोड़ों लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। कार्यशाला में मुख्य अतिथि संभागायुक्त केके

महत्वपूर्ण जानकारियां

- प्रतिवर्ष 43 करोड़ लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं।
- 54 प्रतिशत साइबर क्राइम वाइरस अटैक से होता है।
- पिछले साल सर्वे में 123456 कॉमन पासवर्ड पाया गया।
- 10 लाख लोग किसी भी समय इंटरनेट से जुड़े रहते हैं।
- 144 विलियन मेल रोजाना भेजी जाती है।
- प्रतिवर्ष 5 मिलियन गेम डाउनलोड होते हैं।
- प्रतिवर्ष 24 लाख करोड़ रुपया साइबर क्राइम में लगता है।

ये बरतें सावधानियां

- पासवर्ड किसी को न बताएं। उसे यूनिक, स्ट्रॉंग और कॉम्प्लेक्स बनाएं।
- मोबाइल, लैपटॉप या पीसी में रिमैबर में पासवर्ड नहीं डालना चाहिए।
- मोबाइल में पासवर्ड लिखकर नहीं रखना चाहिए।
- निजी जानकारी मेल पर न डाले न ही पोस्ट करें।
- नई साइट खोलने से पहले नियम एवं शर्तें जरूर पढ़ें।
- वाई फाई पासवर्ड सिक्यूरड होना चाहिए।

खरे, मुख्य वक्ता आईजी ग्वालियर रेंज आदर्श कटियार थे। कार्यक्रम के अंत में संभागायुक्त, आईजी रेडियो को चेंबर अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गर्ग द्वारा स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। एसपी रेडियो इंदौर को आईजी ग्वालियर रेंज द्वारा प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किया गया।

इस तरह हटाएं पोस्ट

अगर किसी धर्म संप्रदाय या फिर किसी राजनेता या अन्य व्यक्ति का कार्टून बनाकर मजाक उड़ाया है। साइबर क्राइम से बचने के लिए पोस्ट के आगे रिपोर्ट एबूस में जाकर क्लिक करें।